

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा-अलवर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर)

एफ.6 / फार्म / कृअकेनो / 2017 / 3045

दिनांक 20.7.2017

खुली निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा-अलवर पर रबी 2017-18 में लगभग सरसों 20 हैक्टर, गेहूं 7 हैक्टर, जौ 8 हैक्टर फसल के लिये लगभग 35 हैक्टर में बंटाई/हिस्सा आधारित खेती एवं प्रयोगों के लिये श्रमिकों की दरें ठेकेदारों से दिनांक 29.7.2017 तक सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता दिनांक 29.7.17 को दोपहर 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रुपये 500/- नकद देकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र के साथ 10000/- रुपये नकद धरोहर राशि एवं मूल पते युक्त फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति फार्म के साथ दिनांक 29.7.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करानी होगी। निविदाएँ निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन कमेटी के द्वारा खोली जायेगी।

निविदा समबन्धी सभी शर्तें निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं। निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

भवदीय



क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, एस.के. एन. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि उक्त कार्य के लिये अपना मनोनीत सदस्य भेजना सुनिश्चित रखें।
2. श्रीमान निदेशक एस.के.एन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान कोषाधिकारी, एस.के.एन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर जयपुर
4. संयोजक टेण्डर कमेटी, कृ0 अनु0 केन्द्र, नौगावा-अलवर
5. फार्म मैनेजर/लेखा शाखा/स्टोरकीपर/फार्म स्टोरकीपर फार्म, नौगावा



क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

ठेके पर विभिन्न कृषि कार्य हेतु शर्तें :

- 1 निविदादाता को सभी कार्यों की दरे देना अनिवार्य होगा, कोई निविदादाता यदि 50 प्रतिशत से कम कार्यों की दर देता है तो निविदा निरस्त योग्य है।
- 2 निविदादाता के पास पैन नम्बर होना अनिवार्य है।
- 3 सफल निविदा दाता से निविदा स्वीकृत होने पर 10 दिन के अन्दर रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) कार्य सम्पादन (सिक्वोरिटी) राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि सन्तोषजनक कार्य पाये जाने पर वापिस कर दी जायेगी,
- 4 निविदादाता को अपनी निविदा में समस्त श्रमिक कार्य के एवज में उत्पादन (दाना व चारा) में प्रतिशत हिस्सेदारी दर्शानी होगी। यह निविदा कृषि वर्ष 2017-18 एक वर्ष के लिये होगी।
- 5 बुवाई से लेकर फसल थ्रैसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे। आमतौर पर फसल उत्पादन के लिये सरसों में 2 सिंचाई गेहूं में 5 सिंचाई व जौ में 3 सिंचाई देनी होती है। आवश्यकतानुसार निराई गुडाई, बिमारियों एवं कीटों से बचाव के लिये दवाओं का छिडकाव व भुरकाव किया जाना है। सभी फसलों में खरपतवारनाशी का छिडकाव व दवाई का खर्चा निविदा दाता को ही वहन करना होगा।
- 6 बीज, खाद, उर्वरक केन्द्र के द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7 निविदादाता को ठेके की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- 8 फसलों की थ्रैसिंग हेतु थ्रैसर मशीन मय ट्रैक्टर एवं श्रमिक निविदा दाता के होंगे।
- 9 प्रयोगों में लगने वाले श्रमिकों को भुगतान के लिये कार्यालय में निविदा दाता द्वारा बिल बनाकर देना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय करेगा एवं प्रयोगों के उत्पादन में किसी भी प्रकार का हिस्सा देय नहीं होगा। नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
- 10 प्रत्येक बिल पर इस आशय का प्रमाणपत्र आवश्यक है कि पूर्व के बिलों का भुगतान श्रमिकों को कर दिया है।
- 11 ट्रैक्टर से सम्बन्धित कार्य डिस्क, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टिलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जायेगी। इनसे सम्बन्धित डीजल, वाहन चालक व्यवस्था में निविदा दाता का कोई खर्चा नहीं रहेगा।
- 12 फसल योजना बनाने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। समस्त आदान व आदान व ट्रैक्टर ड्राइवर सहित फार्म मशीनरी, पम्प सैट आदि केन्द्र की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा।
- 13 केन्द्र की विद्युत मोटरों को अपनी निगरानी में ही चलायें जिससे होने वाले मोटरों को फाल्ट से बचाया जा सके। साथ ही मोटरों को निकालने व डालने का खर्चा निविदा दाता का होगा।
- 14 समस्त कार्य फार्म मैनेजर/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान की देखरेख व उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही करना होगा। तथा फसल बुवाई का क्षेत्रफल धटायी बढ़ाया जा सकता है।
- 15 थ्रैसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद निविदा दाता को राज्य सरकार /केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के हिसाब से अथवा जिन फसलों को समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का फसल काटने के समय कृषि उपज मण्डी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। तथा उत्पाद हिस्सेदार को नहीं दिया जायेगा।
- 16 निविदा दाता सम्पूर्ण फसल मौसम में श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा, किन्तु भुगतान की कठिनाई के समय व कुछ अग्रिम राशि कार्यालय से ले सकेगा जो किसी भी समय तक किये गये सम्पूर्ण कार्य के श्रम मूल्य का आनुपातिक हिस्सा होगा। इसके लिये उसे लिखित में आवेदन करना होगा।
- 17 प्रयोगों के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी व श्रमिक मांगने पर तुरन्त दूसरे दिन उपलब्ध कराने होंगे।
- 18 फसल उत्पादन के दौरान फसल की देखरेख (चौकीदारी) हिस्सेदार की ही होगी।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मेरे द्वारा दी जा रही दरों पर कार्य करने के लिये मैं सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

.....

मोबाईल नम्बर-